न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

प्रकरण संख्या	रजि० नं० 2023 /	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12 55 2024	2024 / 15	15.04.20244	07.06.2024

1. दयानन्द पुत्र श्योलाल जाति अहीर निवासी ग्राम सांचोद तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा (राजस्थान)

अपीलान्ट

बनाम

तहसीलदार मुण्डावर जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

रेस्पॉडेन्ट

अपील विरुद्ध आज्ञा तहसीलदार मुण्डावर किस्म 91 एल.आर.एक्ट
मुकदमा संख्या 514 / 2024 निर्णय दिनाक 24.01.2024

उपस्थित:–

01. श्री अशोक चौधरी –वकील अपीलान्ट

–:निर्णय:–

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार मुण्डावर किस्म 91 एल. आर. एक्ट मुकदमा संख्या 514 / 2024 निर्णय दिनांक 24.01.2024 जिसके द्वारा आराजी खसरा न0 188 रकबा 8.05 है0 किस्म नदी में रकबा 1.50 है0 में सरसो की फसल व पक्का मकान बनाकर पश्चातवर्ती अतिक्रमण पाये जाने पर अतिक्रमी के विरुद्व मौके से बैदखली /पैलन्टी/तीन माह का सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है, से व्यथित होकर पेश की है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जर्ये नोटिस तलब किया गया एवं तहत अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने वक्त बहस लिखित बहस पेश कर निवेदन किया है, कि मिन अपीलान्ट ग्राम साचोद तहसील मुण्डावर का रहने वाला है, आराजी खसरा न0 188 रकबा 8.05 है0 के रकबा 1.50 है0 किस्म गैरमुमकिन नदी की आराजी पर कब्जा नही कर रखा है, तथा न ही कोई फसल काश्त की गयी है। बल्कि मिन अपीलान्ट अपनी हाल आराजी खसरा न0 177 रकबा 0.76 है0, जिसके गत खसरा न0 797 / 105 रकबा 3 बीधा व हाल आराजी खसरा न0 179 रकबा 2.02 है0, जिसके गत खसरा न0 798 / 105 रकबा 8 बीधा पर काबिज है, तथा काश्त कर रहा है, लेकिन वर्तमान सैटलमेंट के दौरान राजस्व कर्मचारियो द्वारा उक्त आराजी का हाल नक्शा बनाते समय खिलाफ मौका व खिलाफ कानून उक्त आराजी को मौके के विपरित दिगर जगह नक्शा में दर्शित कर दिया तथा नक्शा में मिन अपीलान्ट की आराजी के स्थान पर गैर मुमकिन नदी दर्ज कर दिया गया जिस गलत नक्शे के दुरुस्ती बाबत न्यायालय सहायक कलक्टर मुण्डावर की अदालत में बअनुवान दयानन्द बनाम राज0 सरकार मुकदमा न0 149 व 150 से पेश कर रखे है, जो वाद विचाराधीन है। तथा पूर्व में भी तहसीलदार मुण्डावर द्वारा मिन अपीलान्ट को धारा 91 एल. आर. एक्ट का नोटिस सन 2019 में दिया गया था, जिस नोटिस की तामील मिन अपीलान्ट को होने पर मिन अपीलान्ट द्वारा जवाब नोटिस तहसीलदार मुण्डावर को पेश किया गया था। मिन अपीलान्ट ने जवाब में लिखा था कि मिन अपीलान्ट के द्वारा किसी भी प्रकार से गैर मुमकिन नदी पर अतिक्रमण नही कर रखा है, तथा मिन अपीलान्ट अपनी आराजी पर काबिज है, तथा आराजी की पैमाईश करा दी जावे। यदि गैर मुमकिन नदी का कोई रकबा मिन अपीलान्ट की आराजी मे पाया जावेगा तो मिन अपीलान्ट उसी समय कब्जा छोड देगा। जिस के आधार पर 91 एल. आर. एक्ट की कार्यवाही को निरस्त किया गया। लेकिन अब पुनः मिन अपीलान्ट के नाम नोटिस जारी कर जिसकी तामील भी नही हुयी है, तथा तामील कुलन्दा द्वारा फर्जी तामील करा कर तहसीलदार मुण्डावर द्वारा एक्सपार्टी की जाकर मिन अपीलान्ट को बिना सुनवाई का अवसर दिये मिन अपीलान्ट की गैरमौजुदी में आलोच्य आदेश पारित किया गया है। मिन अपीलान्ट द्वारा वर्तमान में गैर मुमकिन नदी की आराजी खसरा न0 188 रकबा 8.05 है0 के रकबा 1.50 है0 पर कब्जा नही कर रखा है, तथा न ही कोई फसल काश्त की गयी है। तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय की जानकारी मिन अपीलान्ट को पूर्व मे नही रही है, दिनाक 27.03.2024 को मुकामी पुलिस थाना मुण्डावर द्वारा मिन अपीलान्ट को गिरफ्तार करने हेतु घर पहुचा तो मिन अपीलान्ट को उक्त पारित निर्णय की जानकारी हुयी। जानकारी होने पर मिन अपीलान्ट ने नकल हेतु दिनाक 28.03.2024 को आवेदन पत्र पेश किया गया जिस पर नकल दिनाक 03.04.2024 को प्राप्त हुयी। जिस पर कानूनी सलाह मशवरा कर बिना देरी किये यह अपील पेश की गयी है, तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय 24.01.2024 के विरूद अपील किये जाने में हुये विलम्ब को माफ किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम पेश कर निवेदन है, किया है, कि अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद शुमार फरमायी जाकर तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनाक 24.01.2024 को निरस्त किया जावे।

अ०जिला कलेक्टर एवं अति०जिला मजिस्ट्रेट
खैरथल–तिजारा

हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया एंव वकील अपीलान्ट की लिखित बहस पर मनन किया सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम पर विचार किया। अपीलान्ट ने यह अपील न्यायालय को दिनाक 08.04.2024 को पेश की गयी है। जो करीब 2 माह 22 दिवस पश्चात पेश की गयी है। तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनाक 24.01.2024 की जानकारी अपीलान्ट को दिनाक दिनाक 27.03.2024 को होना अंकित किया गया है, माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेंर द्वारा भी विभिन्न दृष्टान्तो में मियाद के बिन्दू नरमी का रूख अपनाने का सिद्वान्त प्रतिपादित किया हुआ है। अतः अपील अपीलान्टान अन्दर मियाद शुमार की जाती है। अपीलान्ट का मुख्य कथन है, कि आराजी खसरा न0 188 रकबा 8.05 है0 के रकबा 1.50 है0 किस्म गैरमुमकिन नदी की आराजी पर कब्जा नही कर रखा है, तथा न ही कोई फसल काश्त की गयी है। बल्कि मिन अपीलान्ट अपनी हाल आराजी खसरा न0 177 रकबा 0.76 है0, जिसके गत खसरा न0 797/105 रकबा 3 बीघा व हाल आराजी खसरा न0 179 रकबा 2.02 है0, जिसके गत खसरा न0 798/105 रकबा 8 बीघा पर काबिज है, तथा काश्त कर रहा है, लेकिन वर्तमान सैटलमेंट के दौरान राजस्व कर्मचारियो द्वारा उक्त आराजी का हाल नक्शा बनाते समय खिलाफ मौका व खिलाफ कानून उक्त आराजी को मौके के विपरित दिगर जगह नक्शा में दर्शित कर दिया तथा नक्शा में मिन अपीलान्ट की आराजी के स्थान पर गैर मुमकिन नदी दर्ज कर दिया गया जिस गलत नक्शे के दुरूस्ती बाबत न्यायालय सहायक कलक्टर मुण्डावर की अदालत में बअनुवान दयानन्द बनाम राज0 सरकार मुकदमा न0 149 व 150 से पेश कर रखे है, जो वाद विचाराधीन है। मिन अपीलान्ट के द्वारा किसी भी प्रकार से गैर मुमकिन नदी पर अतिक्रमण नही कर रखा है, तथा मिन अपीलान्ट अपनी आराजी पर काबिज है, तथा आराजी की पैमाईश करा दी जावे। तहत अदालत की पत्रावली का अवलोकन किया गया। पटवारी हल्का बासनी द्वारा दिनाक 05.01.2024 को सम्वत 2080 आराजी खसरा न0 188 रकबा 8.05 में से रकबा 1.50 है0 किस्म गैर मुमकिन नदी पर सरसो की फसल /पक्का मकान बनाकर कर अतिक्रमण किये जाने /पश्चातवर्ती रिपोर्ट 91 एल. आर.एक्ट के तहत पेश की गयी जिस पर कार्यवाही कर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अतिक्रमी को जर्ये नोटिस तलब किया गया। जारी नोटिस की एक प्रति दयाराम को तामील करायी जाकर तामील रिपोर्ट पेश की गयी। अतिक्रमी बावजुद नोटिस तामील के उपस्थित नही होने पर पटवारी हल्का बयान दर्ज किये गये। पटवारी हल्का ने अपने बयान दिनाक 24.01.2024 में उल्लेखित किया गया है, कि दयाचन्द पुत्र श्योताज जाति अहीर निवासी सांचोद ने ग्राम सांचोद की सरकारी भूमि किस्म गैर मुमकिन नदी आराजी खसरा न0 188 रकबा 1.50 है0 में पुनः अतिक्रमण किया गया है। अतिक्रमी को पूर्व में भी धारा 91 एल.आर.एक्ट की रिपोट पेश की गयी थी, अतिक्रमी पश्चातवर्ती अतिक्रमी की श्रेणी में आता है। अपीलान्ट का कहना है, कि आराजी की पैमाईश करली जावे। 91 एल. आर. एक्ट के तहत सरकारी आराजी की पैमाईस किये जाने का कोई प्रावधान नही है, बल्कि अपीलान्ट को चाहिये था कि वो अपनी आराजी की पैमाईश कराये किन्तु अपीलान्ट ने ऐसा कोई प्रमाण पेश नही किया गया है। अपीलान्ट ने यह भी उल्लेख किया गया है, कि नक्शे की दुस्स्ती बाबत वाद न्यायालय में विचाराधीन है, उक्त तथ्य भी उपयुक्त नही है, क्योकि प्रकरण में वर्णित आराजी खसरा न0 188 रकबा 8.05 किस्म गैर मुमकिन नदी है, जो धारा 16 के अन्तर्गत प्रतिबन्धित भूमियो की श्रेणी में आती है, ऐसी भूमियो पर किसी को भी अतिक्रमण /आंवटन/नियमन किये जाने का कोई अधिकार नही है। अदालत द्वारा प्रकरण में अतिक्रमी के विरूद्व विधिवत कार्यवाही कर निर्णय पारित कर बैदखली की कार्यवाही किये जाने तथा अतिक्रमण पश्चातवर्ती साबित होने के कारण अतिक्रमी को तीन माह का सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है। तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनाक 24.01.2024 न्यायोचित है। अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है, तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनाक 24.01.2024 यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रमाणित प्रति तहत अदालत को तहत रिकार्ड के साथ पालनार्थ भिजवायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल जमा रिकार्ड हो।

निर्णय अद्य दिनांक 07.06.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेन्द्र सिंह यादव)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
खैरथल-तिजारा (राजस्थान)